न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

जिला जयपुर. बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीणा R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
193/2016	25/11/2016	16/07/2018

– उनवान –

1. रूडा पुत्र मोहन (फौत)
   1/1 देवीलाल पुत्र रूडा
   1/2 रूगनाथ पुत्र रूडा
   1/3 देवनारायण पुत्र रूडा
   1/4 बुद्धिप्रकाश पुत्र रूडा
   1/5 रामोतार पुत्र रूडा
2. मंगला पुत्र बागा
3. फूलचन्द पुत्र मांगू
4. शम्भू पुत्र मांगू

   समस्त आयु वयस्क समस्त जाति बलाई समस्त निवासीयान ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
2. मनोज पुत्र मोहन जाति हरिजन निवासी जवाहर नगर कच्ची बस्ती टीला नम्बर 3 जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
3. दिलीप पुत्र जैला जाति बलाई निवासी घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान हालनिवासी मकान नम्बर 133/34 , ई ब्लॉक नियर श्री सनातन धर्म मन्दिर न्यू मुल्तान नगर दिल्ली।
4. श्रीमती कमला पुत्री जैला पत्नि गंगाराम जाति बलाई निवासी मकान नम्बर 760 गली कुण्डेवालान , अजमेरी गेट दिल्ली 110006 ।
5. मुन्नी पुत्री जैला पत्नि मंगल जाति बलाई निवासी 16/343 , त्रिलोकपुरी दिल्ली।
6. उमेश पुत्र बाबूलाल
7. दिनेश पुत्र बाबूलाल
8. माया पत्नि बाबूलाल

   जाति बलाई निवासी बी–6/12 सेक्टर – 7 रोहनी दिल्ली।
9. भीवाराम पुत्र श्योजी
10. विमला पत्नि प्रहलाद
11. हरीश पुत्र प्रहलाद
12. सन्तोष पुत्री पेमा
13. राजेश पुत्र मूलचन्द
14. बरदी पत्नि मूलचन्द
15. शेखर पुत्र राजू ना0बा0 जरिये संरक्षिका दादी शान्तिदेवी पत्नि बद्री
16. विकास पुत्र राजू
17. महेन्द्र पुत्र बद्री
18. सोनू पुत्री बद्री
19. शान्ति देवी पत्नि बद्री
20. उमा देवी पुत्री किशन
21. शारदा पत्नि किशन

24. रामजीलाल पुत्र सोहनलाल
25. गोपाल पुत्र सोहनलाल
26. बाबूलाल पुत्र सोहनलाल
27. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल
28. सतीश पुत्र सोहनलाल
29. नवीन पुत्र सोहनलाल
30. सन्तोष पुत्री सोहनलाल
31. भौरीदेवी पत्नि भूरा
32. बाबूलाल पुत्र भूरा
33. हीरालाल पुत्र भूरा
34. आरती पुत्री किशन
35. गौरव पुत्र किशन
36. कल्ली पुत्री मूलचन्द
37. दीपक पुत्र मूलचन्द
38. रूकमादेवी पत्नि गुलाबचन्द
39. लोकेश पुत्र गुलाबचन्द
40. विनोद पुत्र शंकर
41. बरदी देवी पत्नि शंकर
42. विजय पुत्र शंकर
43. रेखा पुत्री शंकर
44. कैलाश पुत्र शंकर
45. श्रवण पुत्र चन्दाराम
46. रामप्यारी देवी पुत्री चन्दाराम
47. ओमप्रकाश पुत्र चन्दाराम
48. नानगराम पुत्र चन्दाराम
49. भैरूराम पुत्र चूनाराम
50. नाथूलाल पुत्र चूनाराम
51. रामलाल पुत्र चूनाराम
52. विमला पुत्र चूनाराम
53. नाथीदेवी पुत्री लखमाराम
54. मूली देवी पुत्री लखमाराम
55. रामेश्वर पुत्र लखमाराम
56. बोदराज पुत्र लखमाराम

    समस्त जाति बलाई नवासी ग्राम घाटाजलधारी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
57. बनवारी पुत्र चुन्नीलाल जाति बैरवा निवासी के–47 हिम्मतनगर जयपुर राजस्थान।
58. कान्ता पत्नि गणेश जाति धोबि निवासी के – 47 हिम्मतनगर जयपुर राजस्थान।

.....**अप्रार्थीगण**

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

रमाशंकर शर्मा – प्रार्थीगण

राजेन्द्र प्रसाद मीणा, सत्यपाल गुर्जर – अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र बाबत् रिकॉर्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट</u>

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र रिकॉर्ड दुरूती अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के विरूद्ध अप्रार्थी इस कथन के साथ पेश किया कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी की

भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 1.9500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 369 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 2.4900 हैक्टेयर कुल किता चार कुल रकबा 6.6700 हैक्टेयर ग्राम घाटाजलधारी में स्थित हैं जिसमें प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 स्थित हैं तथा उक्त अनुसार ही प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर खातेदार कि हैसीयत से काबिज काश्त हैं । हाल किये गये सेटलमेंन्ट में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 129/2 के नवीन खसरा नम्बर 220 रकबा 1.9500 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 195 के नवीन नम्बर 361 रकबा 1.0500 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 201 के नवीन खसरा नम्बर 369 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 204 के नवीन खसरा नम्बर 372 रकबा 2.4900 हैक्टेयर बनाये गये हैं। खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220, 361, 369, 372 कुल रकबा 6.6700 हैक्टेयर में प्रार्थी सं. 1 हिस्से 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 लगायत 4 सयुक्त रूप से हिस्से 1/8 पर काबीज काश्त हैं । खसरा नम्बर 129/2, 195, 201, 204 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2050 से 2053 तक में प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 तथा प्रार्थी 3 लगायत 4 के पिता मांगू का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी पर दर्ज हैं जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। परन्तु सम्वत 2054 से 2057 कि जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारीयों ने वास्तवीकता से परे प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/16 एवं प्रार्थी सं. 2 एवं 3 लगायत 4 के पिता मांगू का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/16 राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी पर दर्ज कर दिया गया हैं । उसी अनुसार हाल सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 220, 361, 369, 372 के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी पर प्रार्थीगण के 1/8 – 1/8 हिस्से के स्थान पर प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/16 एवं प्रार्थी सं. 2 एवं प्रार्थी 3 लगायत 4 के पिता मांगू का हिस्सा 1/16 का खातेदार अवैध रूप से अंकित कर दिया गया हैं पूर्वानुसार चली आ रही एन्ट्री का परिवर्तित करने का अधिकार राजस्व कर्मचारीयों को नहीं हैं। अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से उक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2054 से 2057 कि जमाबन्दी में हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/16 अंकित कर दिया हैं जो पूर्वानुसार चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं। खसरा नम्बर 220, 361, 369, 372 प्रार्थी सं. 1 के अंकित हिस्से 1/16 एवं प्रार्थी सं. 2 एवं प्रार्थी 3 लगायत 4 के सयुक्त रूप से अंकित हिस्से 1/16 को दुरूस्त कर नवीन खसरा नम्बरान की भूमि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी को दुरूस्त पूर्वानुसार प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/8 एवं प्रार्थी सं. 1 लगायत 4 का हिस्सा 1/8 कायम किया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी ने उक्त दुरस्ती हेतु हल्का पटवारी एवं तहसीलदार जी जमवारामगढ़ को दिनांक 16–08–2013 को निवेदन किया जिस पर तहसीलदारजी ने निर्देश दिये एवं कहां कि यह मामला मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है उपखण्ड अधिकारी जी के न्यायालय में इस के लिए प्रार्थनापत्र पेश कर के ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता हैं इस कारण यह प्रार्थनापत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ। खातेदार मांगू कि मृत्यु हो चुकि हैं अतः प्रार्थी सं. 3 लगायत 4 ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

.....4

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

उक्त प्रार्थनापत्र का दिनांक 10/10/2014 को न्यायालय सहायक कलक्टेर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ ने निर्णय पारित किया था। जिसकी अपील सं0 234/2015 उनवान दलीप व अन्य बनाम देवीलाल व अन्य माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां कि गई । माननीलय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30/08/2016 को अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10/10/2014 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में सभी प्रभावित पक्षकारों के साक्ष्य सबूत दस्तावेजात प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

दिनांक 25/11/2016 को उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ से प्राप्त हुई एवं माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 30/08/2016 कि अनुपालना में प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को सुचित किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतू विचाराधीन रखी गई। दिनांक 03/01/2017 को प्रार्थी ने संशोधित उनवान पेश किया जिसे पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिया गया । दिनांक 16/01/2017 को अप्रार्थी सं. 3 लगायत 8 कि ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मीणा ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी सं. 2 , 9 से 56 के नोटीस जारी करने के आदेश दिये गये। दिनांक 16/01/2018 को पूर्व में अप्रार्थीगणों कि तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करवाई गई जिसकी तामील रिर्पोट में अवगत करवाया कि अप्रार्थीगण जारी पतों पर निवास नहीं करते हैं। इसलिए वकील प्रार्थी को हिदायत दी गई कि अप्रार्थीगणों का सही पता मालूम कर पुनः नोटीस भरकर पेश करें।

दिनांक 26/02/2018 अप्रार्थी सं. 28 कि ओर से एडवोकेट सत्यपाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया । दिनांक 27/03/2018 को प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पर उभयपक्षों कि बहस सुनी गई । बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया गया ओर संशोधित उनवान पेश करने के निर्देश दिये गऐ शेष अप्रार्थीगणों कि तलबी हेतु अखबार में साया करवाने के आदेश जारी किये गये।

इस न्यायालय के पत्रांक 7041 दिनांक 20/06/2018 को सम्पादक दैनिक नवज्योति पत्रिका जयपुर को अखबार मे साया करने हेतू पत्र लिखा गया । सम्पादक ने बील संख्या जे 40354 कि फोटोप्रति के साथ पत्रिका दैनिक नवज्योति पत्रिका 24/06/2018 पेपर कि प्रति पेश कि जो पत्रावली मे शामिल हैं। पत्रावली में उपस्थित अप्रार्थीगणों ने दिनांक 16/07/2018 तक अपना किसी प्रकार का कोई जवाब एवं साक्ष्य व सबूत भी बार – बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं किये हैं अतः इनका जवाब व साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर को बन्द किया जाता हैं। उपस्थित अप्रार्थीगणों के अलावा शेष अप्रार्थीगण अखबार में साया करवाने के बावजूद भी अनुपस्थित अतः शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं।

पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर कहां कि पत्रावली में जो जवाब पेश किया गया

बहस उभयपक्षों कि सुनी गई बहस में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र में अंकित आराजियात की ताईद कि एवं अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात के बारे में बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से ही सभी खातेदारान का हिस्सा योग करने पर पूर्णांक एक नहीं बनता हैं जबकी विधिक रूप से किसी भी जमाबन्दी में अंकित समस्त खातेदारान का सम्पूर्ण हिस्सा मिलाकर एक पूर्णांक होना चाहीये। जमाबन्दी में खातेदारान पेमा पुत्र नन्दा का हिस्सा 1/8, जीवा पुत्र फत्ता का हिस्सा 2/5 , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा 1/10, श्योजी पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8, बागा पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8 , मोहन पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8 का वास्तविक हिस्सा अंकन नहीं कर विधि विरूद्ध तरिके से राजस्व कर्मचारीयों ने सहवन से खातेदारान पेमा पुत्र नन्दा का हिस्सा 1/8, जीवा पुत्र फत्ता , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा (1/10)1/2 , श्योजी पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8, बागा पुत्र फत्ता , मोहना पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8 का अंकन किया गया हैं , ग्राम घाटाजलधारी के खसरा नम्बर 129/2, 195, 201, 204 के नवीन खसरा नम्बर 220 , 361, 369, 372 में प्रार्थी सं. 1 के हिस्से 1/16 एवं प्रार्थी सं. 2 एवं प्रार्थी सं. 3 लगायत 4 के पिता मांगू के सयुक्त रूप से हिस्से 1/16 को दूरूस्त कर प्रार्थी सं. 1 का हिस्सा 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 एवं 3 लगायत 4 के पिता मांगू का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे। बहस अप्रार्थी ने जवाब अप्रार्थी में अंकित आराजीयात कि ताईद कि राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राज का उल्लेख किया । प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं जमाबन्दी का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता हैं कि प्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 एवं खातेदार जीवा पुत्र फत्ता का हिस्सा 2/5 , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा 1/10 सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने से छूट गया हैं जिससे जमाबन्दी में अंकित समस्त खातेदारान के हिस्सों का योग पुर्णांक एक नहीं होता हैं अतः प्रार्थीगण का हिस्सा 1/8 एवं खातेदार जीवा पुत्र फत्ता का हिस्सा 2/5 , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा 1/10 का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाता हैं तथा ग्राम घाटाजलधारी के खसरा नम्बर 129/2, 195, 201, 204 के नवीन खसरा नम्बर 220 , 361, 369, 372 में खातेदार पेमा पुत्र नन्दा का हिस्सा 1/8, जीवा पुत्र फत्ता , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा (1/10)1/2 , श्योजी पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8, प्रार्थी सं. 1 रूडा पुत्र मोहना का हिस्सा 1/16 एवं प्रार्थी सं. 2 मंगला पुत्र बागा एवं प्रार्थी सं. 3 लगायत 4 फूलचन्द , शम्भू के पिता मांगू के सयुक्त रूप से हिस्सा 1/16 को दूरूस्त कर पेमा पुत्र नन्दा का हिस्सा 1/8, जीवा पुत्र फत्ता का हिस्सा 2/5 , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा 1/10 , श्योजी पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8, प्रार्थी सं. 1 रूडा पुत्र मोहना का हिस्सा 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 मंगला पुत्र बागा एवं प्रार्थी 3 लगायत 4 फूलचन्द, शम्भू के पिता मांगू का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

कियात्मक आदेश

प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र रिकॉर्ड दुरस्ती स्वीकार फरमाया जाता हैं तथा ग्राम घाटाजलधारी के खसरा नम्बर 129/2, 195, 201, 204 के नवीन खसरा नम्बर 220 , 361, 369, 372 में खातेदार पेमा पुत्र नन्दा का हिस्सा 1/8, जीवा पुत्र फत्ता , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा (1/10)1/2 , श्योजी पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8, प्रार्थी सं. 1 रूडा पुत्र मोहना का हिस्सा 1/16 एवं प्रार्थी सं. 2 मंगला पुत्र बागा व प्रार्थी सं. 3 लगायत 4 फूलचन्द , शम्भू के पिता मांगू के सयुक्त रूप से हिस्सा 1/16 को दूरूस्त कर पेमा पुत्र नन्दा का हिस्सा 1/8, जीवा पुत्र फत्ता का हिस्सा 2/5 , जैला पुत्र दयाला का हिस्सा 1/10 , श्योजी पुत्र फत्ता का हिस्सा 1/8, प्रार्थी सं. 1 रूडा पुत्र मोहना का हिस्सा 1/8 एवं प्रार्थी सं. 2 मंगला पुत्र बागा व प्रार्थी 3 लगायत 4 फूलचन्द , शम्भू के पिता मांगू का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दूरूस्त किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें ।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 16.07.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ